(28)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1532–तीन./2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2005 पारित व्दारा – अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर – प्र0क्र0 43 अ–6/2003–04 अपील

सुरेश चंद उर्फ सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र हुकुमचंद
निवासी ग्राम बरायठा तहसील बन्डा जिला सागर ––आवेदक

विरूद्ध

मूँगालाल पुत्र पुन्नेलाल जैन
निवासी ग्राम बरायठा
तहसील बन्डा जिला सागर ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.पाठक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0डी0सोनी)

आ दे श

(आज दिनांक 5–1–2016 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43 अ–6/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–8–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तसीलदार वृत्त शाहगढ़ तहसील बन्डा के समक्ष आवेदन देकर बताया कि मौजा बरायठा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 65/1, 66. 67/2 कुल रकबा 1.437 हैक्टर उसके नाम बंदोवस्त के पूर्व चली आ रही है, जिसका बंदोवस्त के वाद खसरा नंबर 424 कायम हुआ है किन्तु रकबा 1.437 हैक्टर के बजाय त्रृटिवश रकबा 1.27 हैक्टर अंकित हो गया है एंव पुराने नक्शे के वाद

नवीन नक्शे में भी रकबे का अंतर हो गया है जिसका सुधार किया जावे। नायव तहसलीदार ने प्रकरण क्रमांक 28 अ 6 अ/02-03 दर्ज किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8-8-2003 पारित करके अनावेदक के पुराने सर्वे क्रमांक 65/1, 66. 67/2 कुल रकबा 1.43 हैक्टर यानि 3.55 एकड़ पर कायम किये गये नये सर्वे नंबर 424 रकबा 1.27 हैक्टर की बंदोवस्त के समय हुई त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारते हुये खसरा नंबर 423 के रकबा 0.52 हैक्टर भूमि को आवेदक के नाम से हटाकर अनावेदक के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बन्डा के समक्ष अपील क्रमांक 74 अ-6/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 22-10-2003 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 8-8-2003 निरस्त किया गया एंव भूमि पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-8-2005 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-10-03 निरस्त किया गया तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 8-8-2003 स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार वृत्त शाहगढ़ तहसील बन्डा व्दारा प्र. क्र. 28 अ 6 अ/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2003 का

अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने आदेश के प्रारंभ में इस प्रकार अंकित किया है :-

" आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में निवेदन किया कि मेरा पुराना सर्वे क्रमांक 65/1, 66. 67/2 कुल रकबा 1.43 हैक्टर भूमि थी जिसका बंदोवस्त उपरांत नया खसरा नंबर 424 कायम किया जाकर उसका रकबा 1.27 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कर 0.52 है. कम रकबा दर्ज किया गया है एंव नये एंव पुराने नक्शा में भी अंतर हो गया है । ''

नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 8-8-2003 से उपरोक्त त्रृटि को सुधारा है तथा अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त करके भूमि पूर्ववत् दर्ज करने के आदेश दिये हैं तथा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-8-2005 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-10-03 निरस्त करके नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 8-8-2003 स्थिर रखा है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या बदोवस्त के समय हुई भूल अथवा त्रृटि में सुधार करने की शक्तियॉ तहसीलदार/ नायव तहसीलदार को हैं ? जबकि नायव तहसीलदार ने प्रकरण मद अ-6-अ में दर्ज किया है अर्थात संहिता की धारा 115, 116 मद में दर्ज करके बंदोवस्त की भूल सुधार की है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 115, 116 - इन धाराओं के अधीन केवल धारा 114 के अधीन तैयार अभिलेख में त्रृटि होने पर सुधार किया जा सकता है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 89 - उप खंड अधिकारी राजस्व सर्वेक्षण बन्द हो जाने के पश्चात् तथा बंदोवस्त की अवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण सॅख्याॅक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई थी, ठीक कर सकेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक

8-8-2003 अधिकारिता-विहीन है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22-10-03 भी नायव तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार पक्षकारों की समस्या का समाधान नहीं करता। अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-8-05 में प्रकरण के तथ्यों की गहराई में जाकर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-8-03 को यथावत् रखने एंव अपील स्वीकार करने की भूल की है, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश एक-दूसरे के अपूरक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-8-2005 एंव अनुविभागीय अधिकारी बन्डा व्दारा अपील क्रमांक 74 अ-6/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 22-10-2003 तथा नायव तहसीलदार वृत्त शाहगढ़ तहसील बन्डा व्दारा प्रकरण क्रमांक 28 अ 6 अ/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2003 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी बन्डा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह संहिता की धारा 89 के अंतर्गत विचारण न्यायालय होने से नवीन प्रकरण दर्ज करें तथा उभय पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर